उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-122 /2019/4304/30-3-19-10बी/2016

लखनऊ, दिनॉक 05 नवम्बर, 2019

<u>संशोधन/शुद्धि-पत्र</u>

उ०प्र० प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अंतर लेखा संक्रमण हेतु प्रावधानित धनराशि को सड़क सुरक्षा कोष की निधि में जमा किये जाने की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-35/2019/1189/30-3-19-10बी/2016 दिनांक 17-06-2019 निर्गत किया गया है उक्त शासनादेश की निर्गत तिथि में त्रुटिवश दिनांक 17-06-2018 अंकित हो गया है।

अत: शाासनादेश दिनांक 17-06-2018 के स्थान पर दिनांक 17-06-2019 **पढ़ा जाय।**

2- उक्त शासनादेश दिनांक 17-06-2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

ह०/-
(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-122/2019/4304(1)/30-3-2019, तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- गृह (पुलिस) अनुभाग-2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।